

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27(74)ग्रावि/गुप-5/M-2/प्र.व्यय/2016-17 जयपुर, दिनांक // मई, 2016

जिला कलेक्टर,
समस्त, राजस्थान।

विषय :- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पात्र लाभार्थियों की सूची प्रकाशन के क्रम में।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक एफ 27 (43) ग्रावि/गुप-5/ M-1/ विविध/16-17 दि. 13.04.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार SECC-2011 के डाटा के आधार पर "ग्राम उदय से भारत उदय अभियान" के अन्तर्गत दिनांक 24.04.2016 को आयोजित ग्राम सभाओं से अनुमोदन अनुसार ग्राम पंचायतवार लाभार्थियों की वर्गवार वरीयता सूची तैयार कराई गई।

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार उक्तानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थियों की ग्राम सभाओं से अनुमोदित सूची के अन्तिम प्रकाशन से पूर्व जिला स्तर पर जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं जिला कलेक्टर द्वारा नामित गैर सरकारी प्रतिनिधि की गठित अपीलेट कमेटी को दिनांक 30 मई, 2016 तक ग्राम सभाओं से अनुमोदित सूची पर प्राप्त आपतियों के निस्तारण हेतु अधिकृत किया गया है। उक्त अपीलेट कमेटी द्वारा ऐसे लाभार्थी को जिनका नाम ग्राम सभाओं द्वारा विभिन्न कारणों से जिसका इन्द्राज उनके द्वारा कार्यवाही विवरण में किया गया है के नाम काटे गये हो या जिनके नाम SECC-2011 की सूची में ही नहीं हो के नामों की आपत्ति समिति के स्तर से सुनी जाकर अन्तिम रूप देकर दिनांक 07.06.2016 तक प्रकाशित की जानी है।

इसी क्रम में आमजन को आपत्ति दर्ज कराने में सुविधा की दृष्टिगत जिला अपीलेट कमेटी के अधीन उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय अपीलेट कमेटी का भी गठन किया जा जावे, जिसमें विकास अधिकारी सदस्य सचिव होगा। उक्त ब्लॉक स्तरीय अपीलेट कमेटी प्राप्त आपतियों का परीक्षण कराकर अपनी अभिशंषा/टिप्पणी के साथ जिला अपीलेट कमेटी को प्रस्तुत करेगी।

सभी को आश्रय 2022 के तहत योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 के लक्ष्य उक्तानुसार अन्तिम वरीयता सूची के प्रकाशन के बाद ही भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये जा सकेगे। अतः इस क्रम में आप निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे।

- 1 ऐसे लाभार्थी जिनका नाम SECC-2011 की सूची में नहीं हो और लाभार्थी अपने को पात्र मानकर अपील कर रहा हों, तो उनके अपील हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है, जिसमें पंचायत समिति स्तर पर अपील प्राप्त कर लाभार्थी को रसीद दिया जाना सुनिश्चित करावे।

निस्तारण

इस प्रकार के प्रकरणों के निस्तारण करने के उपरान्त पात्र व्यक्ति को अन्तिम वरीयता सूची में सम्मिलित करने के सम्बंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली से अलग से मार्ग दर्शन प्राप्त होने पर सूचित किया जावेगा। अतः इनकी पृथक से सूची तैयार कराई जावे।

- 2 ऐसे लाभार्थियों जिनका नाम SECC-2011 के डाटा के आधार पर या पात्रता सूची में है परन्तु उनका नाम ग्राम सभा द्वारा अपात्र मानकर सम्मिलित नहीं किया गया हो, ऐसे लाभार्थियों की अपील का प्रार्थना पत्र सन्दर्भ हेतु संलग्न है, जिसमें ~~XXXXXX~~ पंचायत समिति स्तर पर अपील प्राप्त कर लाभार्थी को रसीद दिया जाना सुनिश्चित करावे।


निस्तारण

ऐसे प्रकरणों का जिला अपीलेट कमेटी स्तर निर्णय अनुसार पात्र लाभार्थियों की अन्तिम वरीयता सूची दिनांक 07.06.2016 से पूर्व तैयार कराकर दिनांक 07.06.2016 अन्तिम सूची का प्रकाशन कराना सुनिश्चित करावे।

संलग्न दोनो आवेदनों का प्रारूप नमूनों के तौर पर प्रेषित किया गया है। प्रस्तुत आवेदनो की जाँच हल्का पटवारी, ग्राम सेवक ग्राम पंचायत की रिपोर्ट अनुसार ब्लॉक स्तरीय अपीलेट कमेटी की टिप्पणी विकास अधिकारी द्वारा सत्यापन उपरान्त अनुशंषा के साथ जिला अपीलेट कमेटी को प्रेषित किया जावेगा।


अतः उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पादित कराते हुये SECC-2011 के डाटा के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के अन्तर्गत ग्राम पंचायतवार लाभार्थियों की वर्गवार वरीयता सूची दिनांक 07.06.2016 तक तैयार कराना सुनिश्चित करे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं परावि।
- 2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं परावि।
- 3 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
- 4 परियोजना निदेश एवं उप सचिव (मो एवं मू) को विभागीय वेब साईट पर अपलोड कराने बाबत।
- 5 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
- 6 विकास अधिकारी, समस्त राजस्थान।


अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

SECC-2011 सूची में नाम शामिल प्रार्थियों द्वारा उपयोग हेतु**आवेदन पत्र**

(ऐसे लाभार्थी द्वारा उपयोग में लिया जाना है जिनका नाम SECC-2011 की सूची में है परन्तु ग्राम सभा द्वारा अपात्र घोषित किया गया है)

जिला अपीलीय समिति, (प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण)

जिला..... ।

विषय :- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के SECC-2011 के डाटा के आधार पर तैयार सूची में नाम होने के बावजूद ग्राम सभा के द्वारा काट दिये जाने के उपरान्त जोड़ने के क्रम में।

द्वारा :- विकास अधिकारी पंचायत समिति..... जिला.....

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं श्री पुत्र/पत्नी श्री..... शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि आज दिनांक..... तक मेरे पास कोई आवास/एक कमरे का कच्चा आवास/दो कमरों का कच्चा आवास नहीं है।

इसके अतिरिक्त अपात्रता के आधार :-

- 1 मोटर साईकिल दुपहिया/तिपहिया/चौपहिया वाहन/मच्छली नाव होने पर।
- 2 मेकेनाईज्ड तिपहिया/चौपहिया वाहन कृषि उपकरण होने पर।
- 3 किसान क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट सीमा के साथ 50 हजार या उससे अधिक होने पर।
- 4 परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी होने पर।
- 5 परिवार के गैर कृषि उधमों का सरकार के साथ पंजीकृत होने पर।
- 6 परिवार के किसी भी सदस्य की आय अधिकतम रूपये 10 हजार प्रति माह होने पर।
- 7 इन्कमटैक्स देने पर।
- 8 व्यावसायिक कर देने पर।
- 9 स्वयं का रेफ्रिजरेटर होने पर।
- 10 स्वयं का लेण्डलाईन होने पर।
- 11 स्वयं 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि के साथ एक सिंचित उपकरण होने पर।
- 12 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि के लिए दो या अधिक फसल मौसम होने पर।
- 13 मालिक 7.5 एकड़ भूमि या अधिक, एक सिंचाई उपकरण के साथ होने पर।
- 14 किसी भी सरकारी योजना में आवास निर्माण हेतु मेरे परिवार के पक्ष में आदिनांक तक कोई स्वीकृति जारी नहीं हुई है अथवा कोई पक्का मकान आवंटन नहीं होने पर।

उपरोक्त समस्त बिन्दुओं के आधार पर मैं प्रधानमंत्री आवास -ग्रामीण योजना में पात्रता रखता हूँ परन्तु ग्राम सभा द्वारा मेरा नाम गलती से काट दिया गया है। अतः मेरा नाम पात्रता सूची में जुड़वाने का श्रम करावे।

हस्ताक्षर

मय पता.....

सत्यापन रिपोर्ट

सत्यापित किया जाता है कि श्री..... पुत्र..... पत्नी..... का नाम पात्रता सूची SECC-2011 के डाटा के आधार पर इनका नाम कम संख्या..... पर अंकित है। परन्तु इसके अनुमोदन हेतु आयोजित ग्राम सभा द्वारा इनकी पात्रता 13 बिन्दुओं में से निम्न बिन्दु..... के कारण हटा दी गई है।

हमारे द्वारा इनका सत्यापन कर लिया गया है एवं इनका नाम जोड़ने/हटाने की अभिशंषा की जाती है। द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों की जाँच की गई है एवं भौतिक सत्यापन के अनुसार प्रार्थी के पास वर्तमान में कोई आवास नहीं है/ एक कमरे का कच्चा आवास/दो कमरों का कच्चा आवास एवं पात्रता की सूची में शामिल नहीं किये के लिए निर्धारित 14 मापदण्डों के आधार पर इनकी जाँच करने के उपरान्त इनका नाम जोड़े जाने हेतु सत्यापित कर नाम जोड़े जाने की सिफारिश की जाती है।

ग्राम सेवक पदेन सचिव

ग्राम पंचायत

पटवारी हल्का

ब्लॉक स्तरीय अपीलेंट कमेटी द्वारा अभिशंषा

जॉच पश्चात आवेदक का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण हेतु SECC-2011 की सूची में पुनः नाम जोड़ने/नहीं जोड़ने अथवा नया नाम जोड़ने/नहीं जोड़ने की अभिशंषा की जाती है।

आवेदक का अपात्र होने का कारण.....

विकास अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

जिला स्तरीय अपीलेंट कमेटी द्वारा स्वीकृत

जॉच पश्चात आवेदक का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण हेतु SECC-2011 की सूची में पुनः नाम जोड़ने/नहीं जोड़ने अथवा नया नाम जोड़ने/नहीं जोड़ने की अभिशंषा की जाती है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सदस्य एनजीओ

जिला कलक्टर

(प्रपत्र-ब)

**SECC-2011 सूची में नाम शामिल नहीं होने पर प्रार्थियो द्वारा उपयोग हेतु
आवेदन पत्र**

**(ऐसे लाभार्थी द्वारा भरा जाना है जिनका नाम SECC-2011 के डाटा
के आधार पर तैयार सूची में नाम नहीं है।)**

जिला अपीलीय समिति, (प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण)
जिला.....

विषय : प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की सूची में नाम
जुड़वाने के क्रम में।
द्वारा : विकास अधिकारी पंचायत समिति..... जिला.....

महोदय,

मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मैं..... पुत्र..... पत्नि.....
श्री..... मूल निवासी (ग्राम का नाम)..... ग्राम पंचायत.....
पंचायत समिति..... तहसील..... जिला.....
का निवासी हूँ।

- 1 मोटर साईकिल दुपहिया/तिपहिया/चौपहिया वाहन/मच्छली नाव होने पर।
- 2 मेकेनाईज्ड तिपहिया/चौपहिया वाहन कृषि उपकरण होने पर।
- 3 किसान कैंडिट कार्ड, कैंडिट सीमा के साथ 50 हजार या उससे अधिक होने पर।
- 4 परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी होने पर।
- 5 परिवार के गैर कृषि उधमों का सरकार के साथ पंजीकृत होने पर।
- 6 परिवार के किसी भी सदस्य की आय अधिकतम रूपये 10 हजार प्रति माह होने पर।
- 7 इन्कमटैक्स देने पर।
- 8 व्यावसायिक कर देने पर।
- 9 स्वयं का रेफ्रिजरेटर होने पर।
- 10 स्वयं का लेण्डलाईन होने पर।
- 11 स्वयं 2.5 एकड या अधिक सिंचित भूमि के साथ एक सिंचित उपकरण होने पर।
- 12 5 एकड या अधिक सिंचित भूमि के लिए दो या अधिक फसल मौसम होने पर।
- 13 मालिक 7.5 एकड भूमि या अधिक, एक सिंचाई उपकरण के साथ होने पर।
- 14 किसी भी सरकारी योजना में आवास निर्माण हेतु मेरे परिवार के पक्ष में आदिनांक तक कोई स्वीकृति जारी नहीं हुई है अथवा कोई पक्का मकान आवंटन नहीं होने पर।

हूँ कि मेरे परिवार के पास कोई आवास नहीं है/ एक कमरे का कच्चा आवास/दो कमरो का कच्चा आवास एवं मेरा नाम SECC-2011 के आधार पर तैयार पात्रता सूची में नहीं है।

संलग्न :-

- 1 आधार कार्ड/राशन कार्ड/वाटर आईडी की स्वयं सत्यापित प्रति।

हस्ताक्षर

मय पता.....

सत्यापन रिपोर्ट

सत्यापित किया जाता है कि श्री..... पुत्र..... पत्नि.....
... द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों की जाँच की गई है एवं भौतिक सत्यापन के अनुसार प्रार्थी के पास वर्तमान में कोई आवास नहीं है/ एक कमरे का कच्चा आवास/दो कमरो का कच्चा आवास एवं पात्रता की सूची में शामिल नहीं किये के लिए निर्धारित 14 मापदण्डों के आधार पर इनकी जाँच करने के उपरान्त इनका नाम जोड़े जाने हेतु सत्यापित कर नाम जोड़े जाने की सिफारिश की जाती है।

**ग्राम सेवक पदेन सचिव
ग्राम पंचायत**

पटवारी हल्का

PTO

ब्लॉक स्तरीय अपीलेट कमेटी द्वारा अभिशंषा

जॉच पश्चात आवेदक का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण हेतु SECC-2011 की सूची में पुनः नाम जोड़ने/नहीं जोड़ने अथवा नया नाम जोड़ने/नहीं जोड़ने की अभिशंषा की जाती है।

आवेदक का अपात्र होने का कारण.....

विकास अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

जिला स्तरीय अपीलेट कमेटी द्वारा स्वीकृत

जॉच पश्चात आवेदक का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण हेतु SECC-2011 की सूची में पुनः नाम जोड़ने/नहीं जोड़ने अथवा नया नाम जोड़ने/नहीं जोड़ने की अभिशंषा की जाती है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सदस्य एनजीओ

जिला कलक्टर